न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 26/2022 तारीखरजू:– 25/2/22

उनवान:– अब्दुल मतीन बनाम सुदामा वगै0 वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
25/2/22	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 15.03.2022 तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 2118, 2119, 2120, 2121 कुल किता 4 कुल रकवा 0.66 है0 ग्राम **टोडाभीम 11 बिस्वा** तहसील टोडाभीम मे आगामी पेशी तक सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, व निर्माण नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.03.2022 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	1229 25/2/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:55:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 26/2022

उनवानः– अब्दुल मतीम बनाम सुदाम वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात सायलान के कब्जे काश्त की आराजी है। गैरसायल जो कि बदमाश किस्म का व्यक्ति है जिसने सायलान की भूमि के पास स्थित सरकारी आराजी पर कब्जा कर रखा है। सायलान की भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा कर नीव खुदवा ली तथा निर्माण कार्य चालू करवा दिया। इस प्रकार गैरसायल जबरन सायलान की कब्जेकाश्त की आरजी पर कब्जा करने पर उतारू है। वर्णित आराजीयात सायलान की खातेदारी की होने से प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे साबित है। अतः दिनांक 25.02.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायल ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र मे समस्त कथन एकदम गलत व हवायी अंकित कर दिये है। गैरसायलान की कब्जे काश्त की आराजी पर सायलान जबरन कब्जा करना चाहते है इस मद मे तथाकथित दिनांक 21.02.2022 एकदम गलत अंकित किया है। सायलान लट्ठ वाले पैसे वाले व पहुच रखने वाले व्यक्ति है जो डन्डे के बल पर गैरसायल से आराजी को छीनने का प्रयास कर रहे है। गैरसायलान द्वारा सायलान की किसी भी जमीन पर कब्जा नही किया है। सायलान द्वारा समस्त मेटेरियल फैक्टस को छुपाते हुए दावा मय दरखास्त हाजा एकदम गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है। जो चलने योग्य नही खारिज होने योग्य है। सायलान का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही है तथा सायलान द्वारा बेदखली की कोई रिलीफ नही चाही है इस बिना पर दावा चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 403 मे सायलान अपने–अपने हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा गैरसायल खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है। विवादित आराजीयात मे गैरसायल खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है और नाही कब्जे के संबध मे किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। इससे प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.02.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायल को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा की आराजी ख0न0 2118, 2119, 2120, 2121 कुल किता 4 कुल रकवा 0.66 है0 मे सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मे मजाहमत मदाखलत नही करे, व निर्माण नही करे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

(सुनीता मीना)

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:35:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी